संख्या:1:05:138:II:सीएस

दिनांक: 03 अक्तूबर, 2017

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, **लिस्टिंग विभाग,** **एक्सचेंज प्लाजा,** **बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स,** **बांद्रा (ई)** **मुंबई - 400 051.**	**बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,** **निगमित सेवा विभाग,** **फ्लोर - 25,** **पीजे टावर्स,** **दलाल स्ट्रीट,** **मुंबई - 400 001.**
ध्यानार्थ: सुश्री रेहाना डिसूजा, सहायक उपाध्यक्ष	**ध्यानार्थ: श्री अय्यर गोपालकृष्णन, महाप्रबंधक, निगमित सेवाएं**
फैक्स सं.: 022-26598237/38, **022-66418125/26/24**	**फैक्स सं.: 022-22723121,** **022-22722037/39/41/61**

विषय: 29 सितंबर, 2017 को आयोजित बोर्ड बैठक का परिणाम - भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी 09 सितंबर, 2015 के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/ सीएमडी/4/2015 के अनुबंध-I को पैरा क1 के उप पैरा 1.2 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम, 30 के तहत प्रकटन

आपको दिनांक 09 अगस्त, 2016 के पत्र द्वारा सूचित किए गए अनुसार बोर्ड के निर्णयों के अनुक्रम में बोर्ड ने 29 सितंबर, 2017 को हुई अपनी बैठक में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (जिसे आगे "पीएफसीजीईएल" अथवा "अंतरितिक कंपनी" कहा गया है) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत कंपनी में आमेलित करने की व्यवस्था की योजना पर विचार किया है और उसे अनुमोदित किया है।

यह योजना सशर्त है और अन्य बातों के साथ-साथ कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा उसे स्वीकृत किए जाने के अध्यधीन है।

चूंकि, अंतरितिक कंपनी इस कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अतः कंपनी के लिए न तो 10 मार्च, 2017 के परिपत्र संख्या सीएफडी/डीआईएल3/सीआईआर/2017/21 के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करने की अपेक्षा है और न ही किसी भी अधिकरण में यह योजना दायर करने से पूर्व स्टॉक एक्सचेंज से कोई प्रेक्षण पत्र अथवा अनापत्ति पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा है।

दिनांक 09 सितंबर, 2015 के परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/4/2015 के साथ पठित लिस्टिंग विनियमावली, 2015 के विनियम, 30 के तहत अपेक्षानुसार विस्तृत प्रकटन इस परिणाम के अनुबंध के रूप में संलग्न है।

यह आपकी सूचना और रिकार्ड के लिए प्रस्तुत है।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com

अनुबंध

क) आमेलन का भाग बनने वाली कंपनी (कंपनियों) के नाम, संक्षेप में विवरण यथा आकार, कारोबार आदिः

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ("अंतरितिक कंपनी") का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड ("अंतरिती कंपनी") के आमेलन के लिए व्यवस्था की योजना में प्रावधान है।

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ("अंतरितिक कंपनी"), पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड ("अंतरिती कंपनी") की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

31 मार्च, 2017 को व्यवस्थाओं की योजना का भाग बनने वाली कंपनी के संक्षिप्त ब्यौरेः

कंपनी का नाम	राजस्व (करोड़ रुपए में)	निवल मूल्य (करोड़ रुपए में)
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	`27,018.57	`36,470.21
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	`64.79	`382.90

ख) क्या लेन-देन संबंधित पार्टी लेन-देनों के भीतर रहेगा? यदि हाँ, क्या वह "समीपक" पर किया जाता है।

अंतरक कंपनी अंतरिती कंपनी की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। प्रस्तावित आमेलन कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 17 जुलाई, 2014 के सामान्य परिपत्र संख्या 30/2014 के अनुसार, संबंधित पक्षकार के लेन-देन के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त, एलओडीआर विनियमावली के विनियम 23(5)(ख) के अनुसरण में, सबंधित पक्षकार प्रावधान प्रस्तावित योजना पर लागू नहीं हैं।

ग) कंपनी (कंपनियों) के कार्य व्यापार का क्षेत्र

कंपनी का नाम	व्यापार का क्षेत्र
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी)	यह कंपनी भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निधियां एवं गैर-निधि आधारित सहायता प्रदान करने वाले भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी तथा प्रमुख विद्युत क्षेत्र की सार्वजनिक वित्तीय संस्था है।
पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतरितिक कंपनी)	यह कंपनी नवीकरणीय एवं ग्रीन ऊर्जा पर ध्यान देने वाले समान व्यापारिक कार्यों में भी लगी हुई है।

घ) आमेलन के लिए तर्क आधारः

- अंतरितिक कंपनी अंतरिती कंपनी की पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी है और उसी प्रकार के कार्य व्यापार में लगी हुई है। एक ही स्थान पर समान व्यापार कार्यों का समेकन करने और एक कंपनी के रूप में अंतरितिक कंपनी और अंतरिती कंपनी का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए, जिससे कानूनी कंपनियों की संख्या कम करके समूह ढांचे को सुकर बनाने सहित, कानूनी एवं विनियामक अनुपालनों की बहु विविधता कम करने, लागत को युक्ति संगत बनाने के कई लाभ होंगे, यह आशय है कि अंतरितिक कंपनी को अंतरिती कंपनी में आमेलित किया जाए।

- अंतरितिक कंपनी और अंतरिती कंपनी के स्वतंत्र प्रचालों से काफी लागतें लगेंगी और आमेलन से महत्वपूर्ण राशि तथा लागत बचत प्राप्त कर काफी किफायतें होंगी। आमेलन से इस प्रकार बहुस्तरीय ढांचा समाप्त होगा तथा प्रबंधकीय अतिव्यापन कम होंगे जो बहुविध कंपनियों के संचालन में आवश्यक रूप से होते हैं तथा दोहरी लागत पर भी रोक लग जाएगी जो धारक ढांचे की वित्तीय दक्षताओं को समाप्त कर सकती है और परिणामस्वरूप प्रचालन पर्याप्त रूप से लागत दक्ष होंगे। इस योजना के परिणामस्वरूप अंतरिती कंपनी और उसका कार्य व्यापार की निगम संरचना साधारण होगी जिससे पूंजी का दक्षता से उपयोग होगा और अंतरिती कंपनी के भावी विकास के लिए एक समेकित आधार बनेगा।

- यह आमेलन दोनों कंपनियों के उद्देश्यों और व्यापार नीतियों को आगे बढ़ाने तथा उन्हें पूरा करने में योगदान करेगा जिससे अंतरिती कंपनी के माध्यम से संबंधित व्यापार कार्यों की वृद्धि, विस्तार और विकास को गति मिलेगी। इस प्रकार आमेलन से अंतरिती कंपनी का और आर्थिक विस्तार हो पाएगा और व्यापार कार्य को और अधिक लाभप्रद रूप से करने के लिए एक सशक्त एवं केंद्रित आधार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, इस व्यवस्था से संकेंद्रित प्रबंधन केंद्र बिन्दु, एकीकरण, प्रबंध संरचना का सरलीकरण, नीति संबंधी परिवर्तनों का परतहीन कार्यान्वयन होगा और साथ ही अंतरितिक और अंतरिती कंपनी की दक्षता और नियंत्रण बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।

- इस व्यवस्था योजना द्वारा सृजित सहक्रियाशीलता से प्रचालन दक्षता बढ़ेगी तथा व्यापारि कार्यों का एकीकरण होगा।

- प्रस्तावित व्यवस्था से अंतरिती कंपनी को बेहतर एकीकरण और लचीलापन प्राप्त होगा तथा परिसंपत्ति आधार, राजस्व, उत्पाद एवं सेवाओं के संदर्भ में उद्योग में उसकी स्थिति सुदृढ़ होगी।

- प्रस्तावित आमेलन के अन्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  i. पूंजी, संसाधनों, परिसंपत्तियों और सुविधाओं का इष्टतम एवं दक्ष उपयोग एवं यौक्तिकीकरण।
  ii. वित्तीय संसाधनों सहित प्रतिस्पर्द्धी शक्ति की वृद्धि।
  iii. सहक्रिया के लाभ प्राप्त करना।
  iv. बेहतर प्रबंधन तथा व्यापार बढ़ाने पर ध्यान।
  v. ऊपरी खर्चों, प्रशासनिक, प्रबंधकीय और अन्य व्यय में कमी।
  vi. शेयरधारिता ढांचा सरल करना और शेयरधारिता स्तर कम करना।

ङ) विचारः

इस योजना के प्रभाव में आने पर, अंतरिती कंपनी द्वारा रखे गए अंतरितिक कंपनी के सभी इक्विटी शेयर (या तो प्रत्यक्ष रूप से या नामितियों के माध्यम से) आगे किसी अनुप्रयोग, कार्य या करार के बिना रद्द हो जाएंगे। प्रमाणित किया जाता है कि अंतरितिक कंपनी के शेयरों के बदले अंतरिती कंपनी द्वारा कोई नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे अथवा कोई नकद भुगतान, जो भी हो, नहीं किया जाएगा।

च) शेयरधारित पूर्व एवं पश्चात पैटर्नः

सूचीबद्ध कंपनी के शेयरधारिता पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा।